न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 43/2017

अपीलाण्ट्स

1. कान्तादेवी पत्नी पुखराज
2. राजेन्द्र पुत्र पुखराज
3. अमृत पुत्र पुखराज
4. सकाराम पुत्र मोडाजी जातिगण कुम्हार निवासीगण जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. भंवरलाल पुत्र मोडाजी जाति कुम्हार निवासी जालोर
2. खीमसिंह पुत्र वागसिंह
3. खेतसिंह पुत्र खीमसिंह
4. नाथूसिंह पुत्र खीमसिंह
5. अमरसिंह पुत्र खीमसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण धवला रोड़, जालोर बी, बेरे पर, तहसील जालोर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री मुमताज़ अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20/2/19

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 76/2016 कांता वगैरा बनाम खीमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 10.11.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 2529 रकबा 34 बीघा थे। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 6126 बने हैं। सेटलमेन्ट द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि कम करते हुए रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में मिला दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की खातेदारी भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पडौस में आई हुई स्थित हैं। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की भूमि के मध्य किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं था। इसके बावजूद भी सेटलमेन्ट द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि के मध्य रास्ता अंकित कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। सेटलमेन्ट द्वारा हुई त्रुटी को दुरूस्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति बनाए रखने हेतु रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता होना बताते हुए इजमेन्टरी राईट के जरिये अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द करने हेतु काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा न ही किसी पक्षकार ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वो अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसकी न तो अपीलाण्ट को कोई सूचना दी गई एवं न ही अपीलाण्ट को इस बाबत कोई जानकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि धारा 251 के प्रावधानों का उपयोग धारा 212 के तहत नहीं किया जा सकता हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में सुखाचार के कोई प्रावधान लागू नहीं होतें हैं तथा न ही इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त हैं। विधि अनुसार रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को उसके खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से रोका गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई व्यादेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथा अस्थाई व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस भूमि में से सड़क गुजर रही हैं, वह अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि नहीं हैं। मौके पर भूमि में सड़क बनी हुई है, जिसका आमजन गत 50 वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। भू–प्रबन्ध द्वारा मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रेकर्ड तहरीर किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। इस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति से ग्रेवल सड़क बनाई गई हैं। इस भूमि में मौके पर रास्ता उपलब्ध है, जिसकी ताईद तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत हैं। अपीलाण्ट को रास्ता बन्द करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके तथा रेकर्ड की स्थिति के परीक्षण करने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई व्यादेश जारी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा जालोर के पुराने खसरा नम्बर 2529 के हाल खसरा नम्बर 6124, 6125 व 6126 की भूमि में दखल अन्दाजी करने से रोकने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि खसरा नम्बर 6126 के पश्चिमी माठ पर वर्तमान मौका स्थिति अनुसार रास्ता है, जिस पर जिला परिषद् की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से ग्रेवल सड़क बनाई गई हैं। जिसका उपयोग उपभोग रेस्पोडेन्ट्स एवं अन्य आमजन भी कर रहे हैं। अतः रेस्पोडेन्ट्स को रास्ते के उपयोग उपभोग से बाधित नहीं करने हेतु अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को जरिये अन्तरिम व्यादेश पाबन्द किया कि खसरा नम्बर 6110 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 6126 में से चालू रास्ते में किसी प्रकार की रूकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने का जो आधार लिया है, वह खसरा नम्बर 6126 में रास्ता चालू होना अंकित करते हुए सुखाचार के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट को स्वयं की खातेदारी में चल रहे तथाकथित रास्ते में रेस्पोडेन्ट के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया हैं। अब विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत रास्ते बाबत अनुतोष प्रदान किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में विधिक रूप से यह प्रावधित किया गया है कि अस्थाई व्यादेश की आड में रास्ते का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 801 में यह प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 212, 221 व 251– रास्ता से सम्बन्धित विवाद–विचारण न्यायालय ने प्रार्थी को रास्ते में बाधा उत्पन्न करने से रोका–भूमि पक्षकारों की शामलाती खातेदारी में हैं– आदेश की वैधता–रास्ते से सम्बन्धित विवाद को निर्णीत करने में एस0डी0ओ0 को अधिकारिता नहीं हैं– रास्ते के विवाद से सम्बन्धित मामलों में ग्राम पंचायत, तहसीलदार एवं सिविल न्यायालय को अधिकारिता हैं।" राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में रास्ते हेतु विशिष्ठ प्रावधान प्रावधित करते हुए धारा 251ए जोडा गया है, जिसमें खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते कायम करने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई व्यादेश जारी करने के तीनों आज्ञापक सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति को किसी भी रूप में परीक्षित एवं रेखांकित नहीं किया हैं। अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वे प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति को विवेचित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व इन बिन्दुओं को छूआ तक नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 76/2016 कांता वगैरा बनाम खीमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 10.11.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर प्रकरण में समस्त पहलुओं पर जांच कर अस्थाई व्यादेश जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने के तीनों बिन्दुओं को विवेचित करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली